

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)
कमांक 17 अ-82/15-16 भू-अर्जन/2749 बैतूल दिनांक 16-03-2018
ईशतहार 20

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पारसडोह जलाशय हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम देवडोंगरी प0ह0न0112तहसील मुलताई जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बर की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है:-

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक द्वारा कय जाने वाला हे0 में	विभाग कय रकबा	धारक का नाम
1	2	3	4		5
1	37/6	0.677	0.150		पंजाबराव व0 दयाराम जाति किराड सा0 देह
	39/1	0.485	0.262		
	39/5	0.545	0.372		
	40/1	0.258	0.258		
	40/5	0.607	0.607		
	40/8	0.278	0.278		
	73/1	0.016	0.016		
	87/1	0.072	0.072		
	90/1	0.101	0.101		
2	37/4	0.596	0.190		छोटेलाल व0 दयाराम जाति किराड सा0 देह
	39/2	0.750	0.392		
	39/4	0.450	0.302		
	40/2	0.258	0.258		
	40/4	0.587	0.587		
	40/7	0.258	0.258		
	73/2	0.016	0.016		
	87/2	0.045	0.045		
	90/2	0.126	0.125		
3	37/5	0.475	0.380		गुलाबराव व0 दयाराम जाति किराड सा0 देह
	39/3	1.085	0.442		
	40/3	0.815	0.815		
	40/6	0.318	0.318		
	73/3	0.017	0.017		
	87/3	0.045	0.045		
	90/3	0.080	0.080		
योग			6.386		

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम देवडोंगरी तहसील मुलताई के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों की कुल 6.386 हे0 भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16-3-18 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी।



(शशाक मिश्र)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 17 अ-82/वर्ष 15-16/भू-अर्जन 2749 बैतूल दिनांक ¹⁶/₂₀ / 3 / 2018
प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर के एवं एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति कय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत देवडोंगरी तहसील मुलताई जिला बैतूल (M0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


कलेक्टर,
बैतूल